

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मु०नं० 95/2014

तारीख रजू:- 26.08.2014


प्रेमबाई बनाम बुद्धी बगै०

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

26.09.2019 पत्रावली पेश हुई। वादिया व वादिया वकील उपस्थित नहीं आया। बार-बार आबाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया है ना ही कोई तलवाना प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रस्तुत किया है।

अतः वादिया का दावा धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, खिलाफ गैरसायलान का अदम हाजरी अदम पैरवी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन